

30.8.19



अभिभाषक उभय पक्ष उपरिथति। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया किया कि प्रकरण में रेस्पोजेन्ट संख्या 11 मंगलसिंह, रेस्पोजेन्ट संख्या 16 गिरधारी सिंह, रेस्पोजेन्ट संख्या 18 भंवर सिंह व रेस्पोजेन्ट संख्या 19 माधोसिंह के फौत होने के कारण उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते करते हुए कथन किया गया कि चूंकि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना शेष है तथा विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जहाँ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहाँ तकनीकी विन्दु को गौण रखते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। प्रस्तुत मामले में भी पक्षकारों मध्य लम्बे समय से अपने हकों को सावित करने हेतु लम्बे समय से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट/वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था, जिसे रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विवेचन व युक्तियुक्त कारण के अपीलांट/वादी का वाद/रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। अतः अपीलांट का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मय अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।


इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर-भीतर वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। जैसा कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। अपीलांट अपने कृत्य के प्रति लापरवाह रहे है। अपीलांट की अपील अबेट हो चुकी है। जब पक्षकारों के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र नियमानुसार 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अपील स्वतः अबेट हो जाती है। इसके लिए अलग से आदेश प्रसारित करने की भी आवश्यकता नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्याय का यह सिद्धान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रकरण में रेस्पोजेन्ट संख्या 11, 16, 18 व 19 के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 16-09-2016 व 26-05-2018 को पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोजेन्ट्स संख्या 11, 16, 18 व 19 की मृत्यु की दिनांक का खुलाया नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र अपने आप में एक अधूरा प्रार्थना पत्र है।

प्रकरण में यदि गुणावगुण के बिन्दु को भी देखा जाये तो यह प्रथम दृष्टया पाया जाता है कि प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु गीतादेवी उर्फ सीतादेवी द्वारा धीरजसिंह को गोदनामा को लेकर है। चूंकि उक्त गोदनामा जिला न्यायधीश संख्या 2 बीकानेर द्वारा दिनांक 25-02-2002 को निरस्त व शून्य प्रभावी किया जा चुका है तथा वादग्रस्त भूमि एवं गोदनामें के बाबत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी जब तक उक्त गोदनामें की वैधानिकता को साबित नहीं कर पाता है, तब तक वह राजस्व न्यायालय, से उक्त गोदनामें के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि गोदनामा प्रकरण अपीलांट/वादी के पक्ष में तय/निर्णित होता है तो अपीलांट को नये सिरे से वाद लाने का अधिकार होगा अथवा पूर्व के वाद को रेस्टोर कराने के लिये स्वतन्त्र होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ़्तर हो।




राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।